न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 24 / 2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रामसिंह पुत्र बालूदान जाति चारण निवासी जोधडास तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश हैडा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 18.07.2024

(1)–मामले के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 38 / 2022 सरकार बनाम रामसिंह में निर्णय दिनांक 27.02.2023 के तहत मौजा गोवा कलां की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.03.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 12.04.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 38 / 22 की फोटोप्रति पेश की।

(2)–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

(2)(I)– निर्णय जेर अपील विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है।

(2)(II)– अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उस तिथि को अपीलांट उपस्थित नहीं था और अपीलांट को मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रकरण में बहस हेतु स्वयं व अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के स्पष्टतः विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए जो निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

(2)(III)–अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आईएलआर से पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाने के लिए आदेश पारित किया था, परन्तु उक्त जांच रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व संबंधित आईएलआर के द्वारा अपीलांट को कोई सूचना, नोटिस, जानकारी नहीं दी गई थी और अपीलांट की अनुपस्थिति में उक्त रिपोर्ट तैयार की जाकर प्रस्तुत करना बताया गया है। उक्त रिपोर्ट एकपक्षीय रूप से तैयार की हुई होने से उक्त रिपोर्ट का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है जिससे भी उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

(2)(IV)– हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील पारित करते समय जिस मौका रिपोर्ट को आधार बनाया हैं, वस्तुतः उक्त मौका रिपोर्ट में संबंधित आईएलआर के द्वारा यह कहीं पर भी वर्णित नहीं किया गया है कि उसके द्वारा मौके पर कब व किस तिथि को मौका देखा गया था। यहां तक कि रिपोर्ट में मौके पर जाकर नाप चोप करने तक का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त मौका रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है और मौके पर जाकर आईएलआर के द्वारा कोई रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड के अनुसार तैयार नहीं की गई है जिससे भी उक्त मौका रिपोर्ट का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है और इस आधार पर जो निर्णय जारी किया गया हैं, जो खारिज होने योग्य है।

(2)(V)–आईएलआर शीलगांव के द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, उक्त मौका रिपोर्ट केवलमात्र पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मनमर्जी से तथ्य अंकित कर तैयार की गई है, क्योंकि उक्त मौका रिपोर्ट से गोवा कलां के खसरा नम्बर 116 गैर मुमकिन अंगोर के चिपते ही प्रार्थी की भूमि होना और उक्त खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 116 की भूमि की भूमि मिलाने के तथ्य मनमर्जी से अंकित किये है, जबकि उपरोक्त मौका रिपोर्ट में लिये गये तथ्यों के संबंध में कोई नजरी नक्शा तक तैयार नहीं किये गये है एवं उक्त रिपोर्ट में खातेदारी का रकबा अधिक होना लिखा है, परन्तु अपीलांट की भूमि का रकबा

18/7/24

अपर कलक्टर, नागौर

मौके पर कितना है तथा गैर मुमकिन अंगोर के खसरा नम्बर 116 का रकवा कितना हैं। इस संवंध में कोई भी तथ्य अंकित नहीं है। इस प्रकार अपूर्ण व मनगढत तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई हैं, वो इस आधार पर भी प्रथम दृष्टया ही संदेहारपद हो जाती है और इस प्रकार न्यायोचित नहीं था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, वो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(VI)– मौका रिपोर्ट तैयार करते समय विधि अनुसार संवंधित पक्षो को पूर्व में लिखित सूचना देकर और सूचना देने की तामिल होने के बाद पक्षकारों की उपस्थिति में एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज तथ्यों तथा मौके पर मुस्तकिल पाइंट से नाप चौप करके मौका रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, ऐसी कोई मौका रिपोर्ट हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। जिससे भी निर्णय जेर अपील इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(VII)– पटवारी हल्का गोवा कलां के द्वारा संवत 2079 में खसरा नम्बर 116 गैर मुमकिन अंगोर के रकबा 0.20 हैक्टयर पर अपीलांट के द्वारा अतिक्रमण करने के गलत तथ्य वर्णित किये है। उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में पटवारी के द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय मे सशपथ बयान दिये और न ही उक्त आरोपो के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी एवं पटवारी के बयान नहीं होने से अपीलांट प्रति परीक्षण के अधिकार से वंचित रहा है जिससे भी केवल मात्र आवेदन पर जो निर्णय पारित किया गया है वो खारिज होने योग्य है।

{2}(VIII)–अपीलांट के द्वारा ग्राम गोवा कलां के खसरा नम्बर 116 गैर मुमकिन अंगोर की भूमि पर किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण संवत 2079 में नहीं किया है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 116 के चिपते ही अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 57 अपीलांट पूर्वतम समय से ही काबिज है और अपीलांट से अदावत रखने वाले लोगो के द्वारा गलत प्रकार से झुठी शिकायत पटवारी के मार्फत प्रस्तुत करवाई हैं, क्योंकि अपीलांट के द्वारा पूर्व में अन्य अतिक्रमियों के विरूद्व जो रिपोर्ट दी थी, उस पर कार्यवाही होने से उन लोगो ने अपीलांट से द्वेषता रखते हुए रंजिशपूर्ण तरीके से पटवारी के मार्फत झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत करवा दी, जबकि संबं 2079 में अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण गैर मुमकिन अंगोर की भूमि पर नहीं किया गया हैं, मौके पर जो दीवार संवत 2079 में बताई जा रही है यदि उक्त दीवार के संबंध में विशेषज्ञ की रिपोर्ट तलब की जाती है तो उससे पूर्णतया स्पष्ट हो जायेगा कि उक्त दीवार 60–70 साल पुरानी है और मौके पर पूर्वजो के समय से ही चली आ रही है। इस प्रकार संवत 2079 में अपीलांट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण सरकारी भूमि पर नहीं किये जाने से अपीलांट के विरूद्व किसी प्रकार की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं था, फिर भी उपरोक्त कार्यवाही गलत प्रकार से करवाई जाकर अपीलांट के विरूद्व उक्त निर्णय पारित किया गया हैं, जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(IX)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन व आईएलआर के द्वारा कार्यालय में बैठकर मनमर्जी से तैयार की गई रिपोर्ट को बना किसी साक्ष्य सबूत के सही मानकर बिना किसी ठोस आधार के अपीलांट को अतिक्रमी मानना पूर्णतया न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है और अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो व प्रक्रिया विधि के नियमों के विपरीत जाकर आलौच्य निर्णय पारित किया हैं, जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा गोवा कलां में स्थित गै. मु. अंगोर पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 38/2022 सरकार बनाम रामसिंह व अन्य में निर्णय दिनांक 27.02.2023 के तहत मौजा गोवा कलां की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है, अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. अंगौर है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

18/7/24

उपखण्ड अधिकारी, नागौर

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

18/7/14
अपर कलक्टर, नागौर